us'kuylhMldkWjiksjs'kufyfeVsM
¼Hkkjr ljdkjdkmiØey?kqjRu daiuh½
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
dsUnzh; jkT; QkeZ] lwjrx<+
ftykJhxaxkuxj ¼jkt-½
Qksu% 01509&223873
bZ&esy %ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar
Phone : 01509-223873

CSF/2-65/VOL-II/PITTY WORK/SOG./2018-19 Dated:27.03.20189.

–: अल्पकालीननिविदा सूचना :–

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में वर्ष 2019–20 के लिए खण्ड़ न–1 के चक 37 एसटीजी को Pitty Work Contract पर देनें हेतु सीलबंन्द निविदायें दिनांक 11.04.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है जो कि उसी दिन निविदा जो कि उसी दिन 2.00 बजे खोली जायेगी। अमानतराशि व निविदाफार्म के लिए रूपये 50236/– (रू.50000/– धरोहर व रू.236/–फार्म राशि) मात्र का डी.डी. जो कि **''राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ''** के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है । निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी। निविदा के नियम एवं शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रबन्धक (उत्पादन)

Particulars	Details
Date of issue of NIT	29.03.2019
Tender Document Download Start Date/time Tender Document Download End Date/time	29-03-2019 09.30 A.M. 10-04-2019 5.00 P.M.
Date and time for submission of offline bid Start Date/time Date and time for submission of offline bid End Date/time	28-03-2019 09.30A.M. 11-04-2019 01.00 P.M.
Tender Fee(To be deposited offline)	Rs 236.00 (Rs. One Thousand only) Only D.D. or NEFT/RTGS
EMD (To be deposited of line)	Rs 50000.00 Only D.D. or NEFT/RTGS
Address for Communication	DGM (Farm) Central State Farm, Suratgarh National Seeds Corporation Ltd- 335804
Contact Person (with Phone No & E-Mail)	Gajanand Singh Manager (P) 8239107997 e-mail ID ago.csfsuratgarh@gmail.com

कृषि कार्यों को करने के लिए निविदा की नियम व शर्ते

1. निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय मे धरोहर राशि रूपये 50,000/- मात्र का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ** के नाम देय हो, फार्म खंजाची के पास निविदा सूचना दर्शायी गई दिनांक व समय पर जमा करवाने होगें। तभी निविदा प्रपत्र मान्य होगें। अन्य किसी प्रकार से विभिन्न पत्र जैसे बिल या प्रतियां स्वीकार नही होगी।
2. परिस्थितियों को देखते हुए उसी दिन न्यूनतम निविदादाताओं में से ही नियमानुसार नेगोसियेशन किया जायेगा। शर्त संख्या 1 के अनुसार मान्य निविदा प्रपत्र वालों को ही बोली में सम्मिलित किया जायेगा।
3. सफल बोलीदाता ठेके के लिए निर्धारित नियम व शर्तो का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शर्त ऑफर अस्वीकार होगी तथा उन्हे रद्द (निरस्त) समझा जायेगा।
4. ठेके के नियम व शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ या उन्हीं के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास सुरक्षित होगा।
5. समस्त कृषि कार्यो को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। कार्य समय पर पूरा नही करने की स्थिति मे फार्म समिति द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूला जायेगा।
6. न्यूनतम बोली स्वीकार होने के सम्बन्ध में लिखित सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को भेज दी जायेगी जिसको प्राप्ति के बाद कार्य शूरू करना होगा।
7. बिलो के भुगतान के अलावा ठेकेदार को प्रोत्साहन राशि(इन्सेंटिव) भी दी जायेगी। प्रोत्साहन राशी फार्म के औसत उत्पादन के आधार पर देय होगी। यदि उस चक का औसत उत्पादन फार्म के औसत उत्पादन से कम आयेगा तो प्रोत्साहन राशि(इन्सेंटिव) कम हो जायेगी ।
8. ठेकेदार का कार्य सन्तोषप्रद पूर्ण हो जाने के बाद अमानत राशि बिना व्याज लौटा दी जायेगी ।
9. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा ।
10. कार्य के दौरान ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं है।
11. ठेकेदार, निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को लिखित आज्ञा के बिना ठेके का हस्तान्तरण किसी अन्य ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं कर सकेगा।
12. ठेकेदार को किसी भी समय श्रमिकों सहित 24 घण्टे पूर्ण ईमानदारी, सत्य निष्ठा और शीघ्र कार्य करने के लिये तत्पर रहना होगा, ताकि फार्म के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े ।
13. ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार द्वारा समय-2 पर किया जायेगा, ठेकेदार द्वारा यदि उसके द्वारा लगाऐ श्रमिकों के भुगतान में लापरवाही करता है तो उसकी जिम्मेदारी फार्म की नहीं होगी।
14. ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरों पर निर्धारित अवधि में कार्य करने के सम्बन्ध में आनाकानी करने या निर्धारित शर्तो की पूर्ति न किये जाने पर यदि किसी प्रकार का नुकसान अथवा हानि फार्म को होगी तो वह रकम ठेकेदार के बिल से कटौती योग्य होगी एवं उसकी धरोहर राशि जब्त करली जायेगी तथा फार्म द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म से ठेकेदार की जोखिम व जिम्मेवारी पर कार्य करवा लिया जायेगा तथा इस प्रकार जो फार्म को नुकसान होगा वह ठेकेदार के बिल से काट लिया जायेगा।
15. ठेकेदार को निर्धारित दर पर उस चक की सुरक्षा का ठेका भी दिया जायेगा। सुरक्षा की संपुर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
16. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकरान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं में अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेशन एवं कोन्सिएलेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं/पक्षकरान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
17. आर्बिटेशन एवं कोन्सिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्यायक्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा।
18. नियम एंव शर्तो के साथ अनुबंध 1 में कार्य करने की कार्य क्षेत्र, एंव अनुबंध 2 में कार्य करने की एक समान दर संलग्न हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि कार्यों को करने के लिए कार्य क्षेत्र

निविदा दाता/बोलीदाता को रूपये 50000/– मात्र चक 37 STG का डीडी जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** में धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होगे जो कि कार्य सन्तोषजनक ढ़ग से पूरा होने के बाद बिना व्याज के लौटा दी जायेगी ।

कार्य नः 1 :– खालों की डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना।

1. फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
2. खालों की सफाई दोनों किनारों की पटरी सहित सफाई करके घास तथा मिटटी खाले से बाहर डालनी होगी खाले के अन्दर की मिटटी निकालने का कार्य खेतो के लेवल के अनुसार करना होगा ।
3. खाले के अन्दर की मिट्टी को बट पर डालनी होगी तथा लेवल करना होगा व व पटरी की सफाई भी करनी होगी।

कार्य नः 2 :– पलेवा व पानी लगाना / सिंचाई करना ।

1. फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
2. फसलों में बटों की मरम्मत स्वंय करनी होगी तथा प्रत्येक पटरे के कट बंद करके पानी अलग–अलग पटरे वाईज लगाना होगा।
3. सिंचाई करते समय क्यारियों के उस भाग का ध्यान रखना होगा जिससे पानी वहॉ पहुॅच सके व जहॉ कही भी आवश्यक होगा वहॉ ऊॅची टिकरियों पर पानी हत्थे द्वारा उठाकर फेंकना होगा । बुवाई के बाद फार्म ट्रैक्टर से डाली गयी बट के कट को जोडना।

कार्य नः 3 :–यूरिया खाद , डी.ए.पी. व जिप्सम का छिडकाव करना।

1. खाद की मात्रा चक प्रभारी से पूछ कर प्रति एकड के हिसाब से क्रोसिंग में दो बार में छिडकनी होगी ।
2. खाद छिडकते समय फसल का कोई भी हिस्सा नही छूटना चाहिए जिससे खाद सामान मात्रा में हर जगह पड सके ।
3. खाद छिडकनें के लिए फार्म के प्लासटिक के थैलों की झोलियां स्वंय ठेकेदार को बनानी होगी।

कार्य नः4 व 5 :– फसलों में कीटनाशक व खरपतवार नाशक का स्प्रे व डसटिंग करना

1. स्प्रे करनें वाले श्रमिकों को अपने हाथ से व पीठ पर लादकर चलने वाली मशीन का इन्तजाम स्वंय करना होगा ।
2. स्प्रे व डसटिंग करनें के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी ।
3. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में खाद एवं दवाई छिडकनें पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।
4. दवा के दुरुपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।

कार्य नः 6:– फसलों में रोगिंग करना।

1. रोगिंग के समय फसल से अवांछित पौधे उखाडनें होंगे व उन्हे चक प्रभारी के आदेशानुसार रखना होगा ।
2. कार्य चक प्रभारी से पूछ कर करना होगा ।

कार्य नः 7 :– चना, उरद, मूॅग, ग्वार आदि फसलों में कसोलो द्वारा गुडाई करना।

1. मजदूरों व कसोलो का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
2. फसल की सारी घास अच्छी तरह निकालनी होगी।

कार्य नः 8:— <u>चना, उरद व मूँग या अन्य फसलों में हल से गुड़ाई करना।</u>

1. ठेकेदार को हल का इन्तजाम स्वयं करना होगा।
2. गुड़ाई के समय फसल में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसके बिल से कटौती की जायेगी।

कार्य नः 9 :— <u>चना, धान व अन्य फसलों का उत्पादन विनोईंग सेन्टर पर सुखाना।</u>

1. चना, धान व अन्य फसलों के उत्पादन को सुखाने के लिए मजदूरों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ताकि उत्पादन की नमी या बथुआ आदि से किसी प्रकार का नुकसान न हो ।
2. मौसम खराब होनें पर चना, धान व अन्य उत्पादन के ढेर बनाकर उन्हे तिरपाल द्वारा ढकना।

कार्य नः 10 :— <u>बिजाई हेतु बीज उपचारित करना।</u>

बिजाई के समय खरीफ व रबी फसलों की बिजाई के लिए बीज उपचारित करने के लिए पर्याप्त श्रमिक लगाने होगे तथा बीज उपचारित करते समय किसी श्रमिक को दवा का असर होने पर उसका ईलाज आदि कराना ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। फार्म इसके लिए कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

कार्य नः 11 :— <u>बीज, खाद फार्म वाहन में लादना व उतारना।</u>

बिजाई के समय बीज व खाद को फार्म वाहन में लादने व उतारने के लिए ठेकेदार को पर्याप्त श्रमिक लगाने होगे तथा खाद भी आवश्यकतानुसार लोड अनलोड करना होगा।

कार्य नः 12 :— <u>धान की नर्सरी आदि डालना।</u>

धान की नर्सरी की क्यारियों में बीज मापदण्ड के अनुसार बीज का छिड़काव करना होगा। एक ही जगह पर ज्याद मात्रा में बीज छिडकने से जो भी क्षति होगी वह ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

कार्य नः 13 :— <u>धान की नर्सरी उखाडना व धान लगाना।</u>

1. धान की नर्सरी ठेकेदार द्वारा उखाडना तथा व उन्हें चक प्रभारी के बताये गये मुरब्बों में लगाना
2. प्रति स्कायर मीटर में 30 पौधों से कम पौधे होनें पर ठेकेदार के बिल से कटौती काट ली जायेगी ।
3. पर्याप्त मात्रा में मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा ताकि धान समय पर लगाया जा सके।

कार्य नः 14 :— <u>धान से घास निकालना।</u>

1. घास अच्छी तरह जड से निकालनी होगी ।
2. घास को दरांती से नहीं काटे क्योंकि दरांती से कटा हुआ घास पुनः हो जाता है। घास को जड से न निकालने एवं दरांती से काटने पर उसके बिल से कटौती की जायेगी ।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा।

कार्य नः 15 :— <u>उडद, मूँग व ग्वार आदि की कटाई करना।</u>

उडद, मूँग व ग्वार आदि फसलों की कटाई के लिए पर्याप्त श्रमिक, दरांती आदि की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा कटाई के बाद फसल इक्कट्ठा करना, कम्बाईन में झुकाई करना तथा खलिहान साफ करना होगा। थ्रैसिंग के समय यदि किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होने पर ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

कार्य नः 16 :— <u>फील्ड से गिरे पेड/लकडी विनाईंग सेन्टर पर लगाना।</u>

1. पेड/लकडी की कटाई के लिए के मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा।
2. लकडी ढुलाई के लिए श्रमिक व वाहन ठेकेदार के होंगे ।
3. लकडी फील्ड में लादना व विनाईंग सेन्टर पर उतारना इसके लिए क्षमिक ठेकेदार के होगें।
4. जलाऊ व इमारती लकड़ी को अलग—अलग लाना होगा तथा खलिहान पर उतारते समय भी इमारती व जलाऊ लकड़ी का ढ़ेर अलग—अलग लगाना होगा।

कार्य नं0 17 :— <u>बिजाई से छूटे हुए कोनों की कस्सी से गुडाई करना तथा बिजाई करना।</u>

1. जुताई के समय छूटे हुए ऐरिया की गुड़ाई कस्सी से ठेकेदार को करनी होगी।

कार्य नं0 18 :— <u>फसल बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना।</u>

1. बीजाई के समय फार्म की सीड ड्रील से बीजाई करवाना।

कार्य नं0 19 :– <u>फसलों में डसटिंग करते समय माउण्टेड ट्रैक्टर पर श्रमिक लगाना।</u>

1. डसटिंग करने के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी।
2. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में दवाई छिड़कनें पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।
3. दवा के दुरूपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

कार्य नं0 20 :– <u>कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना व बैकर अनलोड करना।</u>

1. कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई करने के लिए ठेकेदार को जरूरत के मुताबित श्रमिक लगाकर कार्य कटाई के साथ–साथ कराना होगा। मोपिंग की फसल को फार्म कम्बाईन में झुकाई कर थ्रैसिंग करनी होगी।
2. बंकर भरने पर फार्म वाहन में उत्पादन अनलोड करना होगा।

कार्य नं0 21 :– <u>खण्ड़–तीन में बनी हुई डिग्गी से सिंचाई करना।</u>

फव्वारों से पानी लगाने के लिये मजदूर, फावड़े आदि ठेकेदार के होगें तथा पानी सुचारू रूप से लगाना होगा।

कार्य नं0 22 :– <u>कपास व धान में बट बनाना।</u>

1. फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
2. कपास व धान की बटों को अच्छी तरह से मजबूत बनाना होगा।

कार्य न. 23 :– <u>खड़ी फसलो एवम फार्म संपतियो की सुरक्षा करना ।</u>

समस्त खड़ी फसलो व फार्म संपतियो की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

उपरोक्त सभी कार्यों के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा आवंटित कार्य को समय से पूरा न करने पर फार्म द्वारा कार्य को पूरा कराने पर किये गये श्रमिक मद पर अतिरिक्त खर्च के भुगतान की भरपाई ठेकेदार के बिल/धरोहर राशि/सिक्योरिटी बिल से कर लिया जायेगा।

उपरोक्त कार्यो में से सभी या आंशिक रूप में कोई भी कार्य स्वीकृत करने या रद्द करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा। उपरोक्त कार्यो में आये किसी भी विवाद का निवटारा खण्ड अधिकारी द्वारा प्राथमिक रूप से किया जायेगा और यदि उचित समझा गया तो फार्म निदेशक का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

सेवा में,

श्रीमान निदेशक महोदय,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़।

विषय :– प्रोत्साहन राशि (इन्सेंटिव) लेने बाबत निविदा प्रपत्र।

क्र.स.	खण्ड़ संख्या	चक संख्या	प्रोत्साहन राशि (इन्सेंटिव) का प्रतिशत
1-	1	37 STG	

हस्ताक्षर(निविदादाता)............................

निविदादाता का नाम............................

निविदादाता के पिता का नाम...........................

ग्राम व डाकघर...........................

तहसील...........................

जिला...........................

मोबाईल न0...........................

निविदाता के बैंक खाता संख्या न0...........................

बैंक आईएफसीन0...........................